इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2019—आषाढ़ 26 शक 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2019

क्र. 9657-मप्रविस-15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) जो विधान सभा में दिनांक 17 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१९

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, २०१९

मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २०१९ है.

धारा ४ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (एक) में,—

(एक) उपखण्ड (क) में, शब्द और और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपखण्ड (ख) में, शब्द और और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग १४ प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द और अंक "अन्य पिछड़े वर्ग २७ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ३. (१) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अन्य पिछड़े वर्ग मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का २७ प्रतिशत हैं. यह वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है. राज्य सरकार ने इस वर्ग के उत्थापन के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं, फिर भी उक्त वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थापन नहीं हो सका.

२. अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा ४ में यथोचित संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध १४ प्रतिशत से २७ प्रतिशत बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. गोविन्द सिंह
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख ०८ जुलाई, २०१९.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या २७ प्रतिशत है. जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है. इस वर्ग के उत्थान के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) की धारा-४ में यथोचित संशोधन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों के आरक्षण का उपबंध १४ प्रतिशत से २७ प्रतिशत बढ़ाए जाने का विनिश्चय किया गया है.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, २०१९ (क्रमांक २ सन् २०१९) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.